राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या – 1280/2017/उदयपुर

सहायक आयुक्त,
वृत्त–बिजनेस ऑडिट–द्वितीय,
वाणिज्यिक कर, उदयपुर ...अपीलार्थी

बनाम

मै0 बन्दूकवाला इस्पात प्रा0लि0
उदयपुर ...प्रत्यर्थी

एकलपीठ
श्री नत्थूराम, सदस्य

उपस्थित : :

श्री रामकिशोर खदाव,
उप राजकीय अभिभाषक ....अपीलार्थी की ओर से
अनुपस्थित ...प्रत्यर्थी की ओर से

निर्णय दिनांक : 12.09.2018

निर्णय

1. अपीलार्थी–राजस्व द्वारा यह अपील अपीलीय प्राधिकारी, वाणिज्यिक विभाग, उदयपुर (जिसे आगे **"अपीलीय अधिकारी"** कहा जायेगा) के द्वारा अपील संख्या 240/वेट/15–16/उदयपुर में पारित निर्णय दिनांक 10.05.2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है, जिसके द्वारा उन्होंने वाणिज्यिक कर अधिकारी, बिजनेश ऑडिट द्वितीय,उदयपुर (जिसे आगे **"कर निर्धारण अधिकारी"** कहा जायेगा) द्वारा पारित आदेश दिनांक 07.09.2015 राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **"अधिनियम "** कहा जायेगा) की धारा 27(5),33,56 व 61 के अन्तर्गत वर्ष 2011–12 में कर, ब्याज व शास्ति कुल रू0 9,50,377/–में से कर व ब्याज को यथावत रखते हुए शास्ति को अपास्त किया एवं व्यवहारी की अपील आंशिक स्वीकार की गयी है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि श्रीमान आयुक्त महोदय, वा.क.विभाग राज0 जयपुर के आदेश क्रमांक 1246 दिनवांक 24.07.2015 द्वारा वित्तीय वर्ष 2011–12 की बिजनेस ऑडिट की स्वीकृति से फर्म डायरेक्टर श्री ताकीर भाई की उपस्थित में प्रत्यर्थी व्यवहारी के व्यवसाय स्थल पर विभागीय टीम द्वारा दिनांक 07.08.2015 को ऑडिट की गयी। वक्त ऑडिट व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत लेखा पुस्तकों का परीक्षण किये जाने पर वेट 10–ए एवं लेखा पुस्तकों में रू0 7,75,781/– का अन्तर पाया गया। इसी प्रकार आगत कर सत्यापन किया जाने पर रू0 5,80,890/–सत्यापन का अभाव पाया गया इसके अतिरिक्त वेट 10–ए का अवलोकन करने पर क्रय में डायरेक्ट एक्सपेन्सेज व भाड़ा रू0 11,98,872/– आदि सम्मिलित नहीं पाये गये। उक्त अनियतिता पाये जाने के कारण व्यवहारी को कारण बताओ नोटिस जारी किया। नोटिस की पालना में व्यवहारी के अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा जवाब पेश किया गया। प्रस्तुत जवाब से असंतुष्ट होकर कर निर्धारण अधिकारी ने अपने आदेश दिनांक 07.09.2015 द्वारा प्रत्यर्थी व्यवहारी फर्म के विरूद्ध कर रू0 38,790/–, ब्याज रू0 18,690/– तथा शास्ति रू0 77,580/– की मांग कायम की गयी। कर निर्धारण अधिकारी के उक्त आदेश से व्यथित होकर, प्रत्यर्थी व्यवहारी फर्म द्वारा प्रथम अपील अपीलीय अधिकारी के समक्ष पेश करने

लगातार.....2

पर, अपीलीय अधिकारी ने आदेश दिनांक 10.05.2017 द्वारा आरोपित कर व ब्याज के बिन्दु पर पुनः सत्यापन/जॉच करने हेतु निर्देशित किया तथां शास्ति को अपास्त किया जाकर, प्रत्यर्थी व्यवहारी की अपील आंशिक स्वीकार की गयी। अपीलीय अधिकारी के उक्त आदेश से व्यथित होकर, अपीलार्थी–राजस्व द्वारा शास्ति के बिन्दु पर यह द्वितीय अपील पेश की गयी है।

3. प्रत्यर्थी व्यवहारी फर्म बावजूद नोटिस तामीली के अनुपस्थित रहे है उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही कार्यवाही अमल में लाते हुए, विभागीय उप राजकीय अभिभाषक की एकतरफा बहस सुनी गयी।

4.. अपीलार्थी विभाग के विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने अपीलीय अधिकारी के आदेश को विधिसम्मत नहीं बताते हुए, अपीलार्थी राजस्व द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार करने का निवेदन किया।

5. विभाग के विद्वान उप राजकीय अभिभाषक की एकतरफा बहस सुनी गयी। पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन किया गया। अपीलीय अधिकारी ने डिस्काउन्ट से संबंधित बिन्दु पर डिस्काउन्ट की राशि पर आगत कर में से रिवर्स के आदेश दिये है तथा विक्रय वापसी के संबंध में सत्यापन/जॉच की कार्यवाही कर पुनः निर्णय पारित करने हेतु आदेश दिया है। डिस्काउन्ट राशि एवं विक्रय वापसी का लेखा पुस्तकों में दर्ज होने से शास्ति का आरोपण विधिसम्त नहीं है। शास्ति के बिन्दु पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इण्डिया सिविल अपील नं. 5134–2002 मैं श्री कृष्णा इलेक्ट्रीकल्स बनाम स्टेट ओफ तमिलनाडु एवं अन्य निर्णय दिनांक 21–04–09 व राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर एस.बी.सेल्स रिवीजन पिटीशन नं. 193–194 ऑफ 2009 वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, श्री गंगानगर बनाम मैसर्स दुर्गेशवरी फुड लिमिटेड श्री गंगानगर निर्णय दिनांक 08.12.2011 तथा माननीय राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर अपील संख्या 1220/1229/2009/ उदयपुर मैसर्स साधवानी ट्रेडर्स, जयपुर बनाम वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, जोन–द्वितीय, जयपुर निर्णय दिनांक 19.04.2010 के अनुसार प्रकरण में चूंकि बिक्री के समस्त संव्यवहार लेखा पुस्तकों में दर्ज है व्यवसायी ने प्रविष्टियॉ छिपायी नहीं हैं। अतः ऐसी स्थिति में बिक्री के समस्त संव्यवहारों के बहीयात में दर्ज होने के कारण अधिनियम की धारा 61 के तहत शास्ति आरोपण, माननीय न्यायालयों के उद्वरित न्यायिक दृष्टांत के आलोक में विधिक नहीं है।

6. उपरोक्त न्यायिक दृष्टान्त से स्पष्ट है कि व्यवहारी द्वारा घोषित बिक्री पर शास्ति आरोपित नहीं की जा सकती हैं। अपीलीय अधिकारी के आदेश में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होने से अपील अस्वीकार होने योग्य है।

7. फलस्वरूप अपीलार्थी–राजस्व द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार की जाती है तथा अपीलीय अधिकारी के आदेश दिनांक 10.05.2017 की पुष्टि की जाती है।

निर्णय सुनाया गया।

(नत्थूराम)
सदस्य